



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फाइल सं. : ए-281174/742024/चिकित्सा-VII

दिनांक: 20.11.2024

परिपत्र / Circular

विषय: पीसीए एवं एचपीसीए के संबंध में 7^{वें} केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

Implementation of 7th CPC recommendation in respect of PCA & HPCA

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7^{वें} वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित रोगी देखभाल भत्ता (Patient Care Allowance) / अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (Hospital Patient Care Allowance) के ज्ञापन को वित्तीय आयुक्त, वित्त प्रभाग, ईएसआईसी मुख्यालय की सहमति से ईएसआईसी मुख्यालय द्वारा पहले स्वीकार कर लिया गया था को (महंगाई भत्ता 50% होने पर उपरोक्त भत्ते में 25% की वृद्धि की जाएगी) पुनः अनुमति/वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में मुख्यालय के ज्ञापन संख्या ए-28011/2/2022-मेडिकल-VI दिनांक 04.04.2022 तथा ए-28/11/1/एचपीसीए-पीसीए/2016-मेडिकल-VI दिनांक 12.06.2018 तथा भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जेड.28050/119/2012-एच दिनांक 17.12.2012 का संदर्भ ले

The Memorandum regarding Patient Care Allowance / Hospital Patient Care Allowance related to the recommendations of the 7th Pay Commission by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, which was earlier accepted by ESIC Headquarters with the concurrence of the Financial Commissioner, Finance Division, ESIC Headquarters (the above allowance will be increased by 25% when dearness allowance is 50%) does not require again financial concurrence/ approval. In this regard, refer to Headquarters Memorandum No. A-28011/2/2022-Medical-VI dated 04.04.2022 and A-28/11/1/HPCA-PCA/2016-Medical-VI dated 12.06.2018 and Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Z.28050/119/2012-H dated 17.12.2012.

सभी कार्यालय प्रमुख /लेखा प्रमुख रोगी देखभाल भत्ता (Patient Care Allowance) / अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (Hospital Patient Care Allowance) को निर्देश दिया जाता है कि उक्त अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

Therefore, all the Office Head / Head of Accounts are directed to comply the above instructions in respect of Patient Care Allowance/Hospital Patient Care Allowance.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

This issues with the approval of competent authority.

सहायक निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)

प्रतिलिप :-

1. महानिदेशक / वित्तीय आयुक्त के पीपीएस कक्ष को सूचनार्थ.
2. सभी चिकित्सा आयुक्त / सभी ज़ोनल चिकित्सा आयुक्त/ सभी ज़ोनल बीमा आयुक्त के पीपीएस/पीएस कक्ष को सूचनार्थ.

3. सभी क्षेत्रीय निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रभारी)/ उप निदेशक (प्रभारी)/ उप क्षेत्रीय कार्यालय.
4. चिकित्सा निदेशक दिल्ली एवं चिकित्सा निदेशक नोएडा.
5. सभी डीन / चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज/ ईएसआईसी अस्पताल.
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / अस्पताल/ शैक्षिक संस्था के संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (वित्त).
7. वेब साइट प्रबन्धक को ईएसआईसी के पोर्टल पर अपडेट करने हेतु.
8. ईएसआईसी नर्सिंग स्टाफ फेडरेशन के अध्यक्ष/महासचिव.
9. Secretary General, All India ESIC(Medical) Employees Federation.